

प्रेस-नोट

दिनांक 10.08.2018

भाग-1

जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान के तहत निम्न उपलब्धियां

- थानाधिकारी दिवेर ने 1 श्री नारायणसिंह पिता बाबुसिंह जाति रावत उम्र 35 साल निवासी बग्गड थाना देवगढ 2. श्री प्रदीपसिंह पिता नाहरसिंह जाति रावत उम्र 24 साल निवासी बग्गड थाना देवगढ जिला राजसमंद को अवैध रूप से देशी शराब अपने कब्जे में रख परिवहन करने पर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
- थानाधिकारी केलवाडा ने बाबुसिंह पिता मान सिंह बल्ला उम्र 45 साल निवासी बल्लो का गुडा थाना केलवाडा को अवैध रूप से अपने हाथ में लोहे का धारदार छुरा लेकर घुमने पर आमजन में भय उत्पन्न होने से आर्मस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

भाग-2

जिले में दर्ज प्रकरण:-

अन्य मामलो में दर्ज प्रकरण :-

- पुलिस थाना कांकरोली पर प्रार्थी श्री नेत्रपाल पिता श्री बाबुलाल कुशवाह निवासी हाल मुखर्जी चौराहा कांकरोली ने अज्ञात मोटर साईकिल चालक के विरुद्ध मोटर साईकिल से निचे गिर जाना जिससे श्रीमति पुष्पा देवी पत्नि श्री नेत्रपाल कुशवाह के चौटे से दोहराने ईलाज मृत्यु होने की रिपोर्ट दी जिस पर प्रकरण दर्ज कर जांच जारी है।
- पुलिस थाना नाथद्वारा पर श्री कन्हैया लाल पिता शम्भुलाल पालीवाल निवासी बागोल थाना नाथद्वारा ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध डम्पर नं आरजे 14 जीएच 6290 को चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दी जिस पर प्रकरण दर्ज कर जांच जारी है।
- पुलिस थाना दिवेर पर प्रार्थी श्री भैरुसिंह पिता जोधसिंह जाति रावत उम्र 55 साल नि0 किसनपुरा थाना देवगढ जिला राजसमन्द ने अज्ञात जेसीबी चालक द्वारा जेसीबी को गफलत लापरवाही पूर्वक चला एकसीडेन्ट कारित करना जिससे श्री जगदीश पिता भैरुसिंह जाति रावत नि0 किसनपुरा थाना देवगढ जिला राजसमन्द की मृत्यु होने की रिपोर्ट दी जिस पर प्रकरण दर्ज कर जांच जारी है।
- पुलिस थाना कांकरोली पर प्रार्थी दिनेश गौरवा पिता हजारि जी निवासी रेती मोहल्ला पुलिस थाना कांकरोली ने देवेन्द्र पिता प्रेम गौरवा कालु पिता प्रेमसिंह, राजु व विक्रम सभी निवासियान रेती मोहल्ला पुलिस थाना कांकरोली के विरुद्ध मारपीट करना व चोट पहुंचाने की रिपोर्ट दी जिस पर प्रकरण दर्ज कर जांच जारी है।
- पुलिस थाना भीम पर प्रार्थी श्री मोहनसिंह पिता मालसिंह रावत उम्र 45 साल निवासी नन्दावट थाना भीम ने माता श्रीमति हंजा देवी के खेत पर काम करते हुवे किसी जहरीले जानवर द्वारा काटने से मोत होने की रिपोर्ट दी जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया है।
- पुलिस थाना भीम पर प्रार्थी श्री राकेश कुमार पिता कानाराम रेगर उम्र 36 साल निवासी अजीतगढ थाना भीम हाल कार्यवाहक प्रधानाध्यापक रा0उ0प्रा0 विधालय घाटा ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध स्कुल से रात्री के समय स्कुल का ताला तौड कर कम्प्युटर व टी वी रिसीवर चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दी जिस पर प्रकरण दर्ज कर जांच जारी है।
- पुलिस थाना देवगढ पर प्रार्थी श्री बाबु सिंह पिता अन्ना सिंह रावत निवासी कलालवाडी चौडा कुआ थाना देवगढ ने श्री तेज सिंह पिता अन्ना सिंह रावत उम्र 35 साल निवासी कलालवाडी चौडा कुआ थाना देवगढ द्वारा पंखे के हुक के रस्सी से फांसी लगा कर आत्म हत्या करने की रिपोर्ट दी जिस पर प्रकरण दर्ज कर जांच जारी है।
- पुलिस थाना दिवेर पर प्रार्थी श्री नारायण सिंह पिता करमसिंह जाति रावत उम्र 50 साल निवासी चुनदी थाना दिवेर जिला राजसमनद ने 1 नाथुसिंह 2 सवाईसिंह 3 प्रतापसिंह 4 शैलसिंह 5 देवी सिंह जाति रावत निवासीयान चुन्दी थाना दिवेर जिला राजसमन्द के विरुद्ध प्रार्थी व श्रीमति छगनी देवी, किशनसिंह के साथ मारपीट कर चोट कारीत करने की रिपोर्ट दी जिस पर प्रकरण दर्ज कर जांच जारी है।

भाग-3

धारा 107-151 व 109 सी0आर0पी0सी में गिरफ्तार व्यक्ति :-

- थानाधिकारी थाना केलवाडा ने श्री मांगीलाल पिता मोजी जी सरगरा उम्र 50 साल निवासी जोगेला मजेरा थाना केलवाडा ,श्री उदयसिंह पिता धुलसिंह चदाणा उम्र 28 साल निवासी गवार थाना केलवाडा जिला राजसमन्द, को शान्ती भंग के आरोप में गिरफ्तार किये गये है।

- थानाधिकारी भीम ने दुर्गसिंह पिता टीलसिंह रावत उम्र 21 साल निवासी बालातो की गुंवार थाना भीम, लियाक्त अली पिता इस्माईल मोहम्मद उम्र 21साल ,आजाद मोहम्मद पिता इस्माईल मोहम्मद उम्र 22 साल निवासी कुम्हार मोहल्ला भीम थाना भीम ,तारूसिंह पिता लक्ष्मण सिंह रावत उम्र 23 साल निवासी भैरूखेडा थाना भीम को शान्ती भंग में गिरपतार किया गया है।

जिले में दर्ज प्रकरणों में गिरपतार मुल्जिम :-

- थानाधिकारी केलवाडा ने श्री छगनसिंह पिता डुंगरसिंह दसाणा उम्र 24 साल निवासी दसाणा की भागल थाना केलवाडा को धारा 4/25 आर्मेस एक्ट में गिरपतारी वांछित होने से गिरपतार किया गया है।
- थानाधिकारी देवगढ ने 1.श्याम सिंह पिता मोहन सिंह रावत उम्र 20 साल बरार थाना भीम 2. दिनेश पिता नवल सिंह रावत उम्र 19 साल निवासी हामेला की बेर थाना देवगढ प्रकरण सं. 223/18 धारा 379 भादस में गिरपतारी वांछित होने से गिरपतार किया गया है।
- थानाधिकारी देवगढ ने लक्ष्मण सिंह पिता सवाई सिंह उम्र 27 साल निवासी किटो का बडिया थाना देवगढ को प्रकरण सं. 217/18 धारा307,323,498ए भादस में गिरपतारी वांछित होने से गिरपतार किया गया है।
- थानाधिकारी देवगढ ने छोगालाल बुनकर उम्र 35 साल निवासी कवास का गुडा थाना देवगढ को प्रकरण सं. 7558/10 धारा 138 एनआई एक्ट में गिरपतारी वांछित होने से गिरपतार किया गया है।
- थानाधिकारी दिवेर ने श्री नारायणसिंह पिता बाबुसिंह जाति रावत उम्र 35 साल निवासी बग्गड थाना देवगढ 2. श्री प्रदीपसिंह पिता नाहरसिंह जाति रावत उम्र 24 साल निवासी बग्गड थाना देवगढ जिला राजसमंद को प्रकरण सं. 98/18 धारा 19/54 राज0 आबकारी अधि0 के प्रकरण में गिरपतारी वांछित होने से गिरपतार किया गया है।